न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—281/2019/225 (2019/00281)

1. दुर्गालाल पुत्र स्व0 केसरा, जाति घोसी, निवासी छावनी ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश, अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 13.8.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 46/2019.

उपस्थितः—

1. श्री सी0पी0शर्मा, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2.

निर्णय

दिनांकः— 29.11.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय दिनांक 13.8.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। विद्वान अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 13.8.2019 द्वारा निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । बहस में कथन किया कि ग्राम शोभापुरा पटवार हल्का नून्द्री महेन्द्रातान, तह0 ब्यावर स्थित कृषि भूमि साबिक खसरा नंबर 16 रकबा 5—19—00 बीघा जिसके हाल खसरा नंबर 23 रकबा 5—13—00 बीघा व खसरा नंबर 30 रकबा 00—06—00 बीघा भूमि के इंद्राज दुरूस्ती, हक—खातेदारी घोषणा व

स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसे वाद संख्या 162/2011 के रूप में दर्ज कर अप्रार्थीगण/रेस्पो0 को तलबी के सम्मन जारी किये गये और उन्होंने उपस्थित होकर जवाब के लिये समय चाहा लेकिन जवाब प्रस्तुत नहीं किया । तत्पश्चात् अप्रार्थीगण द्वारा दिनाक 15.4.2015 को एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 जा0दी0 पेश किया जिसके जवाब बहस के लिये तारीख पेशी दिनांक 22.6.2015 दी गई और दिनांक 22.6.2015 को कैम्प कोर्ट में सुनवाई के लिए तारीख पेशी दिनांक 15.7.2015 नियत की गई । दिनांक 15.7.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प मेडिया के समक्ष उक्त प्रकरण में बिना प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 जा0दी0 पर कोई आदेश पारित किये बिना तथा अप्रार्थीगण/रेस्पो0 का जवाबदावा रिकार्ड लिये अथवा प्रस्तुत करने पर जवाबदावा बंद करने के आदेश पारित किये बिना तथा अपीलांट/वादी को अपने कथनों की पुष्टि के लये साक्ष्य, सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना तथा बिना तनकियात कायम किये केवल मात्र कैम्प कोर्ट में प्रकरणों की संख्या बढ़ाने की नियत से अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर वादी का वाद निरस्त कर दिया था । उक्त निर्णय के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 130/2003 पेश की इर्ग जिसे न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 2.1.2004 को स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.9.2003 को निरस्त कर दिया तब पुनः अधी0न्याया0 के समक्ष वाद संख्या 16/2011 प्रस्तुत किया गया जिसे भी निर्णय दिनांक 15.7.2015 से निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 406/2015 में निर्णय दिनांक 26.3.2019 पारित करते हए अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया तथा अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 15.7.2015 को निरस्त करते हए इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया कि अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे जिसके तहत वाद संख्या पुराना 162/2011 को पुनः दर्ज करते हुए नया नंबर 60/2019 अंकित किया गया जो विचाराधीन है । उक्त वाद में आगामी पेशी दिनांक 23.9.2019 थी जिसके साथ वादी को वादग्रस्त भूमि से बदेखल नहीं किये जाने के लिये अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलबी व जवाब के लिये आदेश दिये जो अदम तामील प्राप्त हुए तब प्रार्थी ने अंतरिम रूप से जवाब आने तक अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया जिस पर एकपक्षीय सुनवाई का आवेदन को अंतिम रूप से ही निरस्त कर दिया । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष जवाब आवेदन एवं अप्रार्थीगण को नोटिस तामील ही नहीं हुए और अखण्डनीय आवेदन को बिना किसी विधिक आधार के निरस्त कर दिया जबकि पूर्व पारित निर्णयों में वादग्रस्त भूमि पर प्राथ्र्ाी का कब्जा काश्त मानकर नियमन आवंटन की सिफारिश की है और हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व में भी यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये थे जिसे अनदेखा कर त्रुटिपूर्ण रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है । प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति की तीनों विधिक बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है क्योकि प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त होना तथा उसके पक्ष में नियमन आवंटन किये जाने के समुचित आदेश पूर्व में भी पारित हुए है । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रार्थना पत्र धारा 212 स्वीकार कर ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित भूमि सिवायचक भूमि है । अपीलांट अपने पक्ष में प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है । अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हाजा न्यायालय ने निर्णय दिनांक 26.3.2019 द्वारा अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 15.7.2015 को खारिज कर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया था । अधी0न्याया0 ने उक्त प्रकरण को पुनः दर्ज कर प्रकरण के संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 को इस आधार पर निरस्त किया है कि हाजा न्यायालय द्वारा अपने आदेश में किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं दिया गया है एवं जो निषेधाज्ञा आदेश पूर्व में दिनांक 1.10.2015 को पारित किया गया था वह स्वतः ही निरस्त हो गया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद एवं प्रार्थना पत्र कब्जे के आधार पर पेश किया है । वाद अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है । वाद में अपीलांट को क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इन सबका निस्तारण बाद साक्ष्य होगा किन्तु वर्तमान में अपीलांट विवादित आराजी पर एक अतिक्रमी की हैसियत से काबिज काश्त है जिसके विरूद्ध समय–समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है । अपीलांट अपने पक्ष में प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दू साबित करने में पूर्णतय असफल रहा है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.8.2019 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर